हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग

संख्याः ईण्ड–ए(एफ)19–21/2005–वोल्यूम–I तारीख शिमला–2, 21 अगस्त, 2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, अधिसूचना संख्या इण्ड–ए(एफ)19–21/2005–वॉल–I तारीख 16.04.2018 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् नियम, 2018 के नियम 4(ii) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 18 की उपधारा (2) और धारा 21 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् (एच.पी.एम.एस.ई. एफ.सी.) के समक्ष संदर्भ दर्ज करने सहित असंतुष्ट सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रभारित की जाने वाली निम्नलिखित "फीस/प्रसंस्करण प्रभार" अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:–

क्रम संख्या	परिषद् को संदर्भ करने के दिन दावा राशि	प्रसंस्करण फीस
1.	जहां दावा ₹10 लाख तक का है	₹ 2000/–
2.	जहां दावा ₹25 लाख तक का है	₹ 3000/–
3.	जहां दावा ₹50 लाख तक का है	₹ 4500/–
4.	जहां दावा ₹50 लाख से अधिक का है	₹ 10000/–

फीस/प्रसंस्करण प्रभार बैंक में "हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद्" के नाम बचत खाते में जमा किए जाएंगें। परिषद् के मामलों से सम्बन्धित संबद्ध कार्यक्रम अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से इस खाते से ₹ 5000/– तक की धन राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है। इस राशि का उपयोग, परिषद् के समस्त परिचालन व्ययों अर्थात् बैठक प्रभारों, लेखन–सामग्री, परिषद् के सदस्यों को प्रसुविधा प्रदान करने, डाक प्रभारों आदि को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। फीस परिषद् के खाते में या तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या ऑनलाइन ज़मा की जा सकती है। ऑनलाइन संदाय के लिए आवेदक द्वारा, ऑनलाइन किए गए संदाय का प्रमाण, आवेदन/संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

(आर.डी.धीमान, भा0प्र0से0)
प्रधान सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : इण्ड–ए(एफ)19–21/2005–वोल्यूम–1, तारीख : 21 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्रालय (एम0एस0एम0ई0), ए–विंग, 7वीं मंज़िल, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011
2. सभी प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3. सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
4. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, एम. एस. एम. ई., विकास संस्थान, इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलैक्स, चम्बाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।
6. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. सभी औद्योगिक संघ, हिमाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश से बाहर जो हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
10. गार्ड फाईल।

(गोपाल शर्मा, भा0प्र0से0)
विशेष सचिव (उद्योग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
फोन न0 0177 2620325

(Authoritative English text of this Department Notification No. Ind-A(F)19-21/2005-Vol-I dated 29.08.2018 required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Industries Department

File No. Ind-A(F)19-21/2005-Vol-I Shimla-2 Dated 29th August, 2018.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 18 and sub section (3) of section 21of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) read with rule 4(ii) of the Himachal Pradesh Micro and Small Entreprises Facilitation Council Rules, 2018 notified vide notification No. Ind-A(F)19-21/2005-Vol-I, dated 16.04.2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify the following "fee/proccessing charges" to be charged from the aggrieved Micro & Small Entreprises alongwith filing of the reference before the H.P. Micro & Small Entreprises Facilitation Council (HPMSEFC) as under:-

Sr. No.	Claim amount on the day of making reference to Council	Processing Fee
1.	Where claim is up to ₹10.00 Lakh	₹2000/-
2.	Where claim is up to ₹25.00 Lakh	₹3000/-
3.	Where claim is up to ₹50.00 Lakh	₹4500/-
4.	Where claim is above ₹50.00 Lakh	₹10000/-

The fee/processing charges shall be deposited in a Saving Account in the name of "H.P. Micro Small Enterpreises Facilitation Council" in the Bank. The concerned Programme Officer dealing with Council matters, with the prior approval of Chairman HPMSEFC is authorized to draw funds up to ₹5000/- out of this account. This amount can be used to meet all operational expenses of the Council viz-meeting charges, stationery, providing facilities to members of the Council, postal charges etc. The fee can be deposited in the account of the Council either through Demand Draft or online. For online payment, proof of having paid online shall be submitted by the applicant alongwith application/reference.

By Order

(R. D. Dhiman, IAS)
Principal Secretary (Inds.) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. Ind-A(F)19-21/2005-Vol-I dated the 29th August, 2018.
Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, A-Wing, 7th Floor, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
2. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All the Head of Departments in Himachal Pradesh.
4. All the General Managers, District Industries Centers in Himachal Pradesh.
5. The Director, MSME, Development Institute, Electronics Complex, Chambaghat, District Solan, HP.
6. All Industrial Associations in Himachal Pradesh and Industrial Association outside the Himachal Pradesh representing the Industrial Units setup in the State.
7. Guard File.

(Gopal Sharma, IAS)
Special Secretary (Inds.) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone. No. 0177 2620325.